निर्वाचन सम्बन्धित
व्यक्तिगत ध्यानार्थ

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल,शिमला-171002Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154,Fax. 2620152
Email:secysec-hp@nic.in

No. SEC(F)1-28/2021-340 Dated the 24th February, 2023

सेवा में

श्री आदित्य नेगी (भा0प्र0से0)
उपायुक्त एवं रिर्टनिंग अधिकारी
नगर निगम शिमला
जिला शिमला ।

विषयः– नगर निगम शिमला के आम चुनाव हेतु मतदाता सूचियों के बनाने हेतु व्यापक प्रचार व प्रसार बारे दिशा–निर्देश।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या यू0डी0ए0(3)–7/2011 दिनांक 09.03.2022 के अनुसार हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 14(1) में निम्नलिखित संशोधन किया है:–

"परन्तु यह कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र की यथासंशोधित वर्तमान निर्वाचक नामावली को इन नियमों के अधीन निर्वाचनों के लिए प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा ।"

अतः शहरी विकास विभाग द्वारा किए गये इस संशोधन के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम शिमला से सम्बन्धित नयी प्रारूप मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इस प्रारूप मतदाता सूची में केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम सम्मिलित होंगे जो भारत निर्वाचन आयोग की सम्बन्धित विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज है।

लोकतन्त्र में आम जनता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी पात्र व्यक्तियों को अपना मत बनाने का अवसर मिलें। अतः राज्य निर्वाचन आयोग उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZA, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 9 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 14 के अर्न्तगत आयोग में निहित है, नगर निगम शिमला के आम चुनाव के लिए

मतदाता सूचियों के बनाने हेतु व्यापक प्रचार व प्रसार करने बारे निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी करता है:–

1. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के अपडेशन का कार्यक्रम जारी होने के पश्चात प्रिन्ट मीडिया, इलैकट्रॉनिक मीडिया, रेडियो व दूरदर्शन के माध्यम से प्रारूप निर्वाचक नामावली के प्रकाशित होने का व्यापक प्रचार व प्रसार किया जाए।

2. नगर निगम शिमला के सभी वार्डो के कम से कम पांच विशिष्ट एवं सहज दृश्य स्थानों पर मतदाता सूचियों के अपडेशन कार्यक्रम की सूचना बैनर, फलैक्स व होर्डिंग के माध्यम से प्रदर्शित की जाए। (नमूना सलंग्न है –* इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी तथ्य जो आम जनता के सूचनार्थ बताए जाने हो उक्त बैनर या घोषणा में सम्मिलित किए जा सकते है।)

3. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से नगर निगम शिमला की परिधि के अर्न्तगत मतदाता सूचियों के अपडेशन कार्यक्रम की घोषणा लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में की जाए। (नमूना सलंग्न है)

4. प्रारूप निर्वाचक नामावली की प्रतियां निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी–एवं उप–मण्डलाधिकारी (ना0), नगर निगम कार्यालय, सम्बन्धित तहसील कार्यालय तथा नगर निगम शिमला कार्यालय तथा समस्त वार्डो के कार्योलयों में आम जनता के अवलोकन हेतू रखी जाएगी।

5. कोई भी व्यक्ति उपरोक्त कार्योलयों में किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक मतदाता सूची में अपने नाम का निरीक्षण कर सकता है ।

6. प्रारूप निर्वाचन नामावली राज्य निर्वाचन आयोग व उपायुक्त शिमला की Website पर भी उपलब्ध होगी।

7. आम जनता को यह भी अवगत करवाया जाए कि दावे व आक्षेप प्रस्तुत करते हुए प्रपत्र पर झूठी घोषणा न करें। ऐसी स्थिति में झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति को नियमानुसार दण्डित किया जा सकता है जिसमें एक वर्ष तक की कारावास का प्रावधान है।

भवदीय,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
हिमाचल प्रदेश।

हिमाचल निर्वाचन आयोग

बैनर, फलैक्स व होर्डिंग व घोषणा हेतु नमूना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला के आम चुनाव हेतु निगम की मतदाता सूचियों के अपडेशन का कार्य आरम्भ किया जा रहा है। प्रारूप मतदाता सूची निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी–एवं उप–मण्डलाधिकारी (ना0), नगर निगम कार्यालय, सम्बन्धित तहसील कार्यालय, नगर निगम शिमला के वार्डो के समस्त कार्यालयों में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रारूप मतदाता सूचियां राज्य निर्वाचन आयोग व उपायुक्त शिमला की Website पर भी उपलब्ध होगी।

कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें :–

- 01.01.2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु पात्र होंगे।
- कोई भी पात्र व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक 07.03.2023 से 16.03.2023 तक अपने वार्ड से सम्बन्धित पुनरीक्षण अधिकारी के पास प्ररूप–4 पर आवेदन कर सकता है।
- यदि किसी व्यक्ति द्वारा मतदाता सूची की प्रविष्टि के सम्बन्ध में आपति दर्ज करवानी हो अथवा किसी प्रविष्टि में शुद्धि करवानी हो तो वह प्ररूप 5 एवं 6 पर कमशः आवेदन कर सकता है ।
- प्ररूप–4, 5 व 6 राज्य निर्वाचन आयोग की वैब साईट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यह प्ररूप पुनरीक्षण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है।
- एक व्यक्ति केवल एक ही स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है। दोहरा पंजीकरण कानूनन अपराध है व नियमानुसार दोषी को दण्डित किया जा सकता है। जिसमें एक वर्ष तक की कारावास का प्रावधान है।
- यदि आपका नाम किसी ऐसे विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर दर्ज है जो शिमला नगर निगम का भाग नहीं है और आप नगर निगम शिमला की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करना चाहते हैं तो आपको ऐसे विधानसभा मतदान केन्द्र से अपना नाम विलोपित करने के लिए आवेदन करना होगा तथा इसकी पावती प्ररूप 4 के साथ सलंग्न करनी होगी अथवा सुनवाई के समय सम्बन्धित पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। विधानसभा की मतदाता

सूची से नाम हटाए जाने सम्बन्धी आवेदन की रसीद के सलग्ंन न होने पर आपका दावा रद्द हो जाएगा।

➢ वार्ड वार पुनरीक्षण अधिकारियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः.

पुनरीक्षण अधिकारियों का नाम (Revising Authorities)	वार्ड न0	कार्यालय का नाम	दूरभाष	मोबाइल न0